

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अनुपूरक कार्यसूची

चौदहवां सत्र

वीरवार, 24 फरवरी, 2022/5 फाल्गुन, 1943(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

4(क). अध्यादेश:

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 01-02-2022 को अनुमोदित, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (2022 का अध्यादेश संख्यांक-1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

शिमला-171 004

दिनांक: 23 फरवरी, 2022

यशपाल शर्मा,

सचिव।
